

FORM NO III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• कमल किशोर शर्मा पुत्र स्व. सुवालला जाति ब्राह्मण उम्र करीनब 63 साल निवासी ग्राम झाडौल, पंचायत मण्डावरिया तहसील व थाना अंराई जिला अजमेर राज हाल निवासी सुमाष नगर भीलवाडा राज.।

-प्रार्थी

बनाम

• सूर्यवन्ता पत्नी स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद उम्र बालिग निवासी ग्राम झाडौल पंचायत मण्डावरिया तहसील व थाना अंराई हाल निवासी सुमाष नगर अजमेर राजस्थान व अन्य

-अप्रार्थीगण।




किस्म मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि01955

दर्ज क्रमांक 20 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / .....

वकील प्रार्थी :- अशोक शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 03/5/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अंराई	
3/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्ष अप्रार्थी अशोक शर्मा की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा द्वारा दाखिल की गई। से 03 व 05 से 09/05/24 पत्रावली मिन 21/06/2024 को पेश की।  उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण उप.। ...तलब... हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते... तलब... व... अप्रार्थी... हेतु दिनांक 23/3/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अंराई	

13/3/2026 पत्रावली फेंस हुई। कडील पत्रकारानु उपस्थित /  
वास्तु बहस हेतु पत्रावली दिनांक 18/3/2026  
को फेंस हो *WP*

उपखण्ड अधिकारी  
भगई (अजमेर)

18/3/2026 पत्रावली फेंस हुई। मूल वाद रा निहाळा ही  
पुढा ही खवपानता पत्र हा कागद चवत्ते का  
बाई कागदिय नही ही मूल पत्रावली इका  
काद्या पर निहाळा ही पाती ही पत्रावली  
पुढा मरुमा हो पर मरुट ले मरुट

*WP*  
उपखण्ड अधिकारी  
भगई (अजमेर)